5-5-2020

Dr. Purnima Singh
Department of Political Science
BA part II paper III Indian Government and Politics
Topic - Constitution - 2
Lecture - 47

The formation of the Constituent Assembly - 2

(2) क्रिप्स सुझाव (Cripps Proposals) सन् 1940 की 'अगस्त पेशकश' कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दी गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल यद्यपि मन से भारतीयों के विरुद्ध थे, परन्तु भारतीयों का सहयोग लेना उनकी विवशता थी। अतः उन्होंने भारतीयों का सहयोग लेने का एक और प्रयास किया तथा 11 मार्च, 1942 को यह घोषणा की कि भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए ब्रिटिश मन्त्रिमंडल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय किया है। मिस्टर क्रिप्स 23 मार्च, 1942 को दिल्ली पहुँचे और राजनीतिक समस्या का समाधान करने के कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, जिन्हें 'क्रिप्स

मन्त्रिमंडल मिशन योजना (Cabinet Mission Plan

क्रिप्स योजना को भारतीय राजनीतिक दलों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह योजना उनकी राजनीतिक इच्छाओं के अनुकूल नहीं थी। 1945-46 में भारतीय राजनीतिक मंच पर कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं जिनके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीतिक समस्या का योग्य समाधान ढूंढना आवश्यक हो गया। ब्रिटेन के कॉमन सदन के आम चुनाव में अनुदार पार्टी (Conservative Party) की पराजय हुई और श्रमिक दल (Labour Party) की विजय के पश्चात श्री क्लीमेंट एटली

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। उन्होंने घोषणा कर दी कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसलिए फरवरी, 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने भारत की समस्या सुलझाने के लिए भारत में मन्त्रिमंडल मिशन योजना (Cabinet mission plan) भेजने की घोषणा की। यह मिशन 24 मार्च, 1946 को भारत आया। विभिन्न राजनीतिक दलों और साम्प्रदायिक संगठनों के नेताओं से बातचीत करने के पश्चात 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे भारतीय संवैधानिक इतिहास में 'मन्त्रिमंडल मिशन योजना' कहा जाता है।

मन्त्रिमंडल मिशन योजना के अन्तर्गत संविधान सभा की रचना
(Composition of Constituent Assembly Under Cabinet mission plan)

मन्त्रिमंडल योजना के अनुसार संविधान की रचना निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर होगी –

1. इस सभा में 389 सदस्य होंगे जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रान्त में से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रान्त में से तथा 93 सदस्य भारतीय रियासतों में से होंगे।
2. ब्रिटिश प्रान्त के प्रत्येक प्रान्त को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए जाएंगे। सामान्यतः 10 लाख लोगों के पीछे एक स्थान दिया जाएगा।
3. संविधान सभा के सदस्य के चुनाव के लिए मतदाताओं की केवल तीन श्रेणियाँ स्वीकार की गई, जैसे –

(1) सामान्य स्थान (General seats) - इसमें मुसलमानों तथा सिक्खों को छोड़कर शेष समस्त लोग शामिल थे।

(2) सिक्खों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार केवल सिक्खों का था।

(3) मुसलमानों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने का अधिकार केवल मुसलमानों का था।

(4) मन्त्रिमंडल मन्त्रिमंडल मिशन योजना के अधीन ब्रिटिश भारत के प्रान्तों का तीन श्रेणियों में विभाजन इस प्रकार था -

(A) क श्रेणी (A class) - इस श्रेणी में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्य प्रान्त तथा उड़ीसा शामिल थे।

(B) ख श्रेणी (B class) - इस श्रेणी में पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रान्त और सिन्ध शामिल थे।

(C) ग श्रेणी (C class) - इस श्रेणी में बंगाल और आसाम शामिल थे।

ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव विधि (Election system for Representatives of British India)

ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली ग्रहण नहीं की गई थी, अपितु यह व्यवस्था की गई कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रान्तीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर होगा। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के सन्दर्भ में यह व्यवस्था भी की गई कि सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल परिवर्तित चुनाव प्रणाली के आधार पर होगा। भारतीय रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी।

संविधान सभा का चुनाव (Election to Constituent Assembly)

लगभग सभी राजनीतिक दलों ने मन्त्रिमंडल मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। जुलाई, 1946 को संविधान सभा के चुनाव करवाए गए। मुस्लिम लीग ने भी इन चुनावों में भाग लिया और 78 स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को इन चुनावों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। शेष 11 स्थान निर्दलीय प्रत्याशियों और अन्य राजनीतिक दलों को प्राप्त हुए। सिक्खों ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। बाद में सिक्खों ने अगस्त 1946 में अपने प्रतिनिधि निर्वाचित किए।

देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा की रचना (Composition of Constituent Assembly after Partion of the Country)

माउंटबेटन योजना के अधीन 15 अगस्त, 1947 को देश का विभाजन करने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947) पारित किया था। देश का विभाजन हो जाने के कारण भारतीय संविधान सभा की रचना में परिवर्तन आना आवश्यक था। भारत के जो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे उन क्षेत्रों से चुने गए संविधान सभा के सदस्य पाकिस्तानी संविधान सभा के सदस्य बन गए थे।